आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
18/12/2014	शस्त्रवाद 113/14 **सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **गोरख प्रसाद, पिता–मोहन प्रसाद, मो0–मौना, थाना–नगर, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5364/गो0 5.12.14 के द्वारा प्रेषित आवेदक गोरख प्रसाद, पिता–मोहन प्रसाद, मो0–मौना, थाना–नगर, जिला–सारण के द्वारा एक रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र के जॉचोपरान्त प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आरम्भ किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे एक स्वर्ण आभूषण व्यवसायी हैं। उनकी दुकान साहेबगंज, थाना–छपरा नगर, जिला–सारण के अंतर्गत स्थित है। इनकी दुकान का नाम झुमका पैलेस है। लगभग तीन–चार वर्ष पूर्व इनके यहॉ डकैती हुई थी, जिसमें ये लोग आहत भी हुए थे। आए दिन असामाजिक तत्वों के कारण इनके जानमाल पर खतरे की आशंका मंडराती रहती है। इसलिए अपने जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस निरीक्षक–सह- थानाध्यक्ष, नगर थाना के ज्ञापांक 1859 दिनांक 28.11.14,, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर क ज्ञापाक 2343 दिनांक 29.11.14, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के पत्रांक 1126 दिनांक 1.7.09 एवं अंचलाधिकारी, सदर के पत्रांक 554 दिनांक 24.6.09 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक, सारण के	

पत्रांक 5364/गो0 दिनांक 5.12.14 के द्वारा उक्त अभिलेख को प्रेषित किया गया।

पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के विरुद्ध थाना अभिलेख में किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं है। ये एक आभूषण व्यवसायी हैं। अपने कारोबार के सिलसिले में इन्हें बाहर आना-जाना पड़ता है। इससे इनके जानमाल पर खतरे की आशंका है। पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशंसा के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने हेतु प्रेषित किया गया है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, नगर थाना, छपरा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2-ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक गोरख प्रसाद, पिता-मोहन प्रसाद, मो0-मौना, थाना-नगर, जिला-सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1062 दिनांक 15/12/14

प्रतिलिपि — S.P. सारण / जिला शस्त्र शाखा, सारण / D90, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रभारी उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण
15/12/14